भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1175

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

डिस्कॉम का बकाया

1175. श्री मोहन मंडावी:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री अरूण साव:
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री देवजी पटेल:
श्री विजय बघेल:
श्री सुनील कुमार सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित वर्तमान में विद्युत कंपनियों (डिस्कॉम) की उत्पादन कंपनियों (जेनकॉस) के लिए कुल देय राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्यों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के संगत प्रावधानों को लागू करने का विचार है ताकि करों में संबंधित राज्यों के हिस्से से बकाया राशि को घटाकर बकाया राशि की वसूली की जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : प्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 30.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार आपूर्तिकर्ता (अर्थात् स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) एवं नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादकों) की ओर से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) की कुल देय राशियां इस प्रकार हैं: -

क्र.सं.	विवरण	राशि करोड़ रुपए में
1	शेष पिछली देय राशियां (6 ईएमआईयों के भुगतान के पश्चात)	1,01,158.66
2	वर्तमान देय राशियां (विवादित को छोड़कर और डिफ़ॉल्ट ट्रिगर तिथि से पहले)	34,359.18
3	डिफ़ॉल्ट ट्रिगर तिथि के बाद विवादित राशियों को छोड़कर अतिदेय राशियां	25.20

दिनांक 30.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार, डिस्कॉमों द्वारा और प्राप्ति पोर्टल पर दी गई कुल देय राशियों के राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए है।

(ख) और (ग) : देय राशियों के भुगतान में निरंतर चूक होने के मामलों में, केंद्र सरकार देय राशियों की वसूली के लिए केंद्र, आरबीआई और राज्य सरकार के बीच त्रि-पक्षीय करार (टीपीए) करती है।

(घ) : डिस्कॉमों से उत्पादन कंपनियों की प्राप्ति योग्य बकाया राशियों से उत्पन्न होने वाली नकदी प्रवाह की समस्याओं को पहचानते हुए और विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में भुगतान अनुशासन लागू करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 3 जून, 2022 को विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 लागू किए हैं। इन नियमों में डिस्कॉमों के लिए दिनांक 03.06.2022 को विद्यमान अपनी पिछली देय राशियों का समयबद्ध ढंग से, बराबर मासिक किश्तों में दिनांक 03.06.2022 के बाद विलंबित भुगतान अधिभार की गैर-प्रयोज्यता के लाभों के साथ, निपटान करने की बाध्यता की गई है। इन नियमों में भुगतान सुरक्षा तंत्र की स्थापना के माध्यम से वर्तमान देय राशियों के समयबद्ध निपटान के लिए एक कार्य-ढांचा और खुली पहुँच की क्रमिक निकासी के निरुत्साहन के साथ-साथ, विदयुत विनियमों, यदि इन नियमों के उपबंधों का पालन नहीं किया जाता है तो, का प्रावधान भी किया गया है। उत्पादन कंपनियों को अपनी पिछली देय राशियों का भुगतान करने के लिए डिस्कॉम पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम(आरडीएसएस) के अंतर्गत, स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए डिस्कॉमों के मूल्यांकन के लिए परिणाम मूल्यांकन फ्रेमवर्क के अंतर्गत डिस्कॉमों द्वारा एलपीएस नियमों का अनुपालन करना निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने राज्य डिस्कॉमों/ट्रांसकोज़/जेनकोज़ को कार्यशील पूंजीगत ऋण संस्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकसम्मत दिशानिर्देश लागू किए हैं। इसमें अनिवार्य रूप से यह वर्णन है कि डिस्कॉमों और अन्य राज्य के स्वामित्व वाली यूटिलिटियों को ऋण निर्धारित शर्तों के निमित्त उनके निष्पादन पर निर्भर करेगें। अन्य शर्तों के साथ-साथ विवेकसम्मत मापदंडों में, डिस्कॉमों द्वारा एलपीएस नियमों का अनुपालन शामिल है। विद्युत मंत्रालय ने डिस्कॉमों/ट्रांसकोज़/जेनकोज़ को कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करने के लिए संशोधित अतिरिक्त विवेकसम्मत मापदंड अपनाने और इन्हें लागू करने हेतु अन्य सभी वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से भी अनुरोध किया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1175 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

दिनांक 30.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार डिस्कॉमों और प्राप्ति पोर्टल से उपलब्ध कुल देयराशियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	डिस्कॉम्स	राशि करोड़ रूपये में		
			पिछली देयराशियां	वर्तमान देयराशियां (विवादित और डिफ़ॉल्ट ट्रिगर तिथि से पहले को छोड़कर)	अतिदेय राशियां ट्रिगर तिथि के बाद विवादित को छोड़कर
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	8,568.37	28.48	-
		आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड		53.86	-
		आंध्र प्रदेश पावर परचेज कॉर्डिनेशन समिति		945.03	0.13
		आंध्र प्रदेश साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड		251.45	0.09
2	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट	-	52.37	-
3	असम	असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	-	507.77	-
4	बिहार	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	214.76	885.14	-
		साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	273.58	1,056.67	-
5	चंडीगढ़	चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट	-	7.17	0.02
6	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	3,537.70	844.74	0.00
7	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	-	283.70	-
		बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	-	62.62	-
		दिल्ली टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	-	436.13	-
		नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	-	0.84	-
8	दादरा नगर एवं हवेली और दमन एवं दीप	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	265.53	-
9	गोवा	गोवा पावर डिपार्टमेंट	-	56.27	-
10	गुजरात	गुजरात ऊर्जाविकास निगम लिमिटेड	-	2,709.84	0.00
11	हरियाणा	हरियाणा पावर परचेज सेंटर	-	1,099.14	0.00
12	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	-	199.65	-
13	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर राज्य पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	10,081.44	376.76	0.06
14	झारखंड	झारखंड बिजली निगम लिमिटेड	4,420.20	450.53	-
15	कर्नाटक	बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	6,274.50	1,162.09	0.22
		चामुंदेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,091.80	245.24	-
		गुलबरगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	1,761.68	329.56	-
		हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	2,077.96	530.25	0.24
		मंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	109.62	23.18	-

16	केरल	केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	-	872.15	12.13*
17	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	7,224.67	2,330.93	0.01
18	महाराष्ट्र	बेस्ट अंडरटेकिंग	-	2.14	-
		महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	14,963.44	3,738.74	0.00
19	मणिपुर	मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	80.63	64.11	0.03
20	मेघालय	मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	75.81	-
21	मिजोरम	मिजोरम पावर डिपार्टमेंट	-	54.60	12.49**
22	नागालैंड	नागालैंड पावर डिपार्टमेंट	-	56.50	-
23	ओडिशा	ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा	-	627.18	-
24	पुद्दुचेरी	पुद्दुचेरी पावर डिपार्टमेंट	-	189.78	-
25	पंजाब	पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	1,699.22	-
26	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2,343.60	699.38	-
		जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	5,523.18	1,038.92	-
		जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	5,177.77	890.19	-
27	सिक्किम	सिक्किम पावर डिपार्टमेंट	-	7.49	-
28	तमिलनाडु	तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14,752.71	4,132.46	-
29	तेलंगाना	तेलंगाना स्टेट नॉदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी	2,035.51	344.67	-
		तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी	4,897.53	1,179.02	-
30	त्रिपुरा	त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	135.11	-
31	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,748.00	3,962.55	-
32	उत्तराखंड	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	47.96	-
33	पश्चिम बंगाल	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन	-	65.28	-
		पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	-	559.79	-
	कुल जोड़		**1,01,158.66**	**34,359.18**	**25.20**

*केरल राज्य ने अतिदेय राशि का भुगतान किया और वर्तमान में नियमों के अनुसार विनियमन के अधीन नहीं है।

**नियमों के अनुसार मिजोरम राज्य विनियमों के अधीन है।

****